

[जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :- न्यू पावर हाउस, जोधपुर-342003]

क्र.-जोविविनिलि/निदेशक (वित्त)/मु.ले.अ. (बजट एवं राजस्व)/व. लेखा (राजस्व)प्रे. 1313 दिनांक 31/3/15

आदेश 40/

विषय: कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ट्रांसफार्मर जलने पर उन्हें बदलने में सहयोग करने पर सहयोग राशि प्रदान करने हेतु ।

डिस्कॉम कार्डिनेशन फोरम की दिनांक 17.03.2011 एवं 23.03.2011 को आयोजित 23 वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जारी "आदेश आर. ई. ओ. 193" के अनुसार ट्रांसफार्मर जलने पर कृषि उपभोक्ता द्वारा जला हुआ/खराब ट्रांसफार्मर मौके से ला कर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियंता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक ले जाने में सहयोग करने पर समायोजन के द्वारा सहयोग राशि के रूप में 300/- रु. का भुगतान आगामी विद्युत बिलों की राशि में उपभोक्ता को क्रेडिट किया जाता है। उक्त सहयोग राशि के आगामी बिलों में समायोजन हेतु उपभोक्ता को क्रेडिट CB-4 के कोड सं. 27 द्वारा प्रदान की जाएगी

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षण अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम, को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में उक्त परिपत्र की प्रतियां भेजने की व्यवस्था करें।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम,
3. लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।